न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)
मूल वाद सं– 09 / 23

1. अजय शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गढी टडावली तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर

..............................प्रार्थी

बनाम

1. रामनिवास ⌉ पुत्रगण जगदीश जातिगण ब्राम्ह्ण निवासीगण गढी टडावली तहसील राजाखेड़ा
2. सत्यप्रकाश ⌋
3. ममता पत्नि राकेश जाति ब्राह्मण निवासीगण गढी टडावली तहसील राजाखेड़ा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा वहैसियत लैण्ड होल्डर
5. बैंक प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेड़ा

..........................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री दिनेश कुमार शर्मा।

निर्णय

मूल वाद सं. 09 / 23 दिनांक :– 11/12/2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट नाम दुरूस्ती पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 842, 885, 886 स्थित ग्राम गढी टडावली तहसील राजाखेड़ा में स्थित है जिसमें सायल / प्रार्थी का हिस्सा 1 / 4 भाग का काश्तकार खातेदार है मौके पर काविज हैं। सायल / प्रार्थी ने अपनी जमाबन्दी खाता संख्या 217 स्थित ग्राम गढी टडावली तहसील राजाखेड़ा के पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पता चला कि जमाबन्दी में संजय पुत्र जगदीश नाम अंकित पाया गया है जो गलत दर्ज किया गया है। जबकि वास्तविक नाम अजय शर्मा पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गढी टडावली जमाबन्दी में रिकार्ड मं नाम संजय को हटा करके अजय शर्मा अंकित किया जावें। सायल / प्रार्थी का नाम संजय पुत्र जगदीश के स्थान पर अजय शर्मा पुत्र जगदीश जमाबन्दी रिकार्ड में दर्ज किया जावें सायल / प्रार्थी की जमाबन्दी खाता संख्या 181 सम्बत 2074–77 जमाबन्दी संलग्न है प्रार्थना–पत्र में अजय शर्मा पुत्र जगदीश है सायल को दिनांक 18.07.2023 को जमाबन्दी ग्राम गढ़ी टडावली को पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त हुई तथा पता चला कि जमाबन्दी में नाम संजय पुत्र जगदीश अंकित पाया है जो संजय पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टडावली का होना गलत पाया गया है उसे रिकार्ड में दुरूस्ती कराना का अधिकारी है तथा अन्य रिकार्ड में आधारकार्ड, पहचान–पत्र, एवं बैंक पासबुक में अजय शर्मा पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टडावली का नाम सही अंकित किया जावें। गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 को नाम दुरूस्ती कराने में कोई आपति नहीं है। सायल / प्रार्थी का नाम भूलवश संजय पुत्र जगदीश अंकित दान–पत्र में दिनांक 19.08.2019 को लिखापढी में गलत दर्ज हो गया है उसें नामान्तरण संख्या 1502 दिनांक 20.09.2019 में पुनः सुधार कर संजय पुत्र जगदीश के स्थान पर अजय शर्मा पुत्र जगदीश दर्ज कराना चाहता है। जो सही है। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि सायल / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जमाबन्दी सम्बत 2074–77 खाता संख्या 217 में सायल / प्रार्थी का नाम संजय पुत्र जगदीश हिस्सा 1 / 4 जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टडावली के रिकार्ड में गलत है। उसे सायल के दस्तावेजों आधारकार्ड, वोटरकार्ड,

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

बैंकपासबुक इत्यादि कागजातों में अजय शर्मा पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टडावली है जो सही अंकित किया जावें तथा जमाबन्दी खाता संख्या 217 मे संजय पुत्र के स्थान पर अजय शर्मा पुत्र जगदीश नाम अंकित दर्ज किया जावें। तथा जमाबन्दी मे इसी नाम के इन्द्राज कायम किये जाने के आदेश फरमाये जावें। श्रीमान की बडी कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स. 1 लगा0 5 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 लगा0 5 न्यायालय में उपस्थित आये। और जबाब देने से इन्कार किया।

प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र प्रस्तत किया है जिसमें सरपंच ने इस बात की पुष्ठि की है कि संजय पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टडावली ग्राम पंचायत समौना तहसील राजाखेडा एवं अजय शर्मा पुत्र जगदीश निवासी गढ़ी टडावली ग्राम पंचायत समौना तहसील राजाखेड़ा दोनों एक ही व्यक्ति है। एवं प्रार्थी/सायल ने जमाबंदी सम्बत 2074–77 आराजी खाता संख्या 187 ग्राम गढ़ी टडावली तहसील राजाखेड़ा जिसमें प्रार्थी का नाम अजय पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टडावली तहसील राजाखेड़ा होना बताया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली का अध्ययन एवं मनन किया। हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश दिया जाता है कि स्थित ग्राम गढ़ी टडावली तहसील राजाखेडा में आराजी ख.न. 842, 885, 886 में अंकित संजय पुत्र जगदीश के स्थान पर अजय शर्मा पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण किये शुद्ध किये के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। रहन के इन्द्राज यथावत रखें जावें। पालना हेतु आदेश तहसीलदार राजाखेडा को जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा
राजाखेड़ा (धौलपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला–धौलपुर (राज.)